

**राजस्थान सरकार**  
**शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग**

क्रमांक: प. 18 (2) शिक्षा-4 / 2023 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 27.09.2023

**प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में तनाव कम करने एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने हेतु दिशानिर्देश—2023**

कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रकरण संज्ञान में आने पर इसे गंभीरता से लेते हुए मा० मुख्यमंत्री महोदय ने दिनांक 18.8.2023 को कोचिंग संचालकों के साथ संवाद किया व इस समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 24.8.2023 द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में किया गया।

विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने समस्या से संबंधित विभिन्न विभागों, स्टेक हॉल्डर्स यथा कोचिंग विद्यार्थियों, अभिभावकों, कोचिंग संचालकों, मनोसलाहकारों, होस्टल / पीजी संचालकों, विभिन्न जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, एनएचएम टीम, शिक्षाविदों आदि से विस्तृत विचार-विमर्श एवं सुझाव प्राप्त कर उनका गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 19.9.2023 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकार कर लिया गया है।

समिति द्वारा रिपोर्ट में कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव व मानसिक दबाव व उनके द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के पीछे निम्न प्रमुख कारण पाए गए :—

1. प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और सफलता की सीमित संभावना तथा सिलेबस एवं टेस्ट पेपर अति कठिन होने के परिणामस्वरूप कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों में उत्पन्न मानसिक दबाव एवं निराशा।
2. बच्चों की योग्यता, रुचि व क्षमता से अधिक उन पर पढ़ाई का बोझ एवं अभिभावकों की उच्च अपेक्षाएं।
3. किशोरावस्था में व्यवहारात्मक परिवर्तन, परिवार से दूर रहना, समुचित काउंसलिंग एवं समुचित शिकायत निवारण तंत्र का अभाव।
4. असेसमेंट टेस्टों की अधिकता, उनका परिणाम सार्वजनिक करना एवं विद्यार्थियों पर टिप्पणी करना तथा परिणाम के आधार पर कोचिंग संस्थानों द्वारा बैच सेग्रेशन करना।
5. कोचिंग संस्थानों का अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम तथा विस्तृत पाठ्यक्रम।
6. समुचित अवकाशों का अभाव, मोनोटोनस माहौल एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों का अभाव।

इस संबंध में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाओं पर प्रसंज्ञान लेते हुए सूओ मोटो याचिका संख्या 99/2016 दर्ज की गई। इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश दिनांक 13.6.2018 एवं 31.10.2018 जारी किये गये थे। कालान्तर में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य हेतु दिशानिर्देश दिनांक 11.11.2022 जारी किये गए।

अतः उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर, पूर्व में जारी दिशानिर्देशों की निरंतरता में, प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में तनाव कम करने एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश—2023 जारी किये जाते हैं:—

## **अ- कोचिंग संस्थानों के लिए दिशानिर्देश :—**

1. कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश :—
  - 1.1 कोचिंग संरथान विद्यार्थियों को नवीं कक्षा से पहले व्यावसायिक कोचिंग में प्रवेश लेने को प्रोत्साहित नहीं करें। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों में पंजीकृत नवीं कक्षा से पूर्व के विद्यार्थी कोचिंग छोड़ना चाहें तो उन्हें शेष अवधि की फीस लौटाते हुए एग्जिट करने की अनुमति दें।
  - 1.2 विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश स्कीनिंग टेस्ट से उनकी क्षमता का आकलन करने के उपरान्त ऑरियण्टेशन एवं काउसलिंग के माध्यम से अभिरुचि का आकलन करने के उपरान्त ही देवें। इस हेतु अभिभावकों की भी काउसलिंग की जाए एवं उन्हें विद्यार्थी की शैक्षणिक प्रास्थिति एवं अभिरुचि के संबंध में अवगत कराया जाए। काउसलिंग के दौरान कोचिंग संरथान छात्रों तथा अभिभावकों को विगत वर्ष में संबंधित कोर्स में प्रवेशित कुल विद्यार्थियों तथा उनमें से अंतिम रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या से अवगत कराएँ।
  - 1.3 प्रवेश उपरान्त भी नियमित अंतराल पर बच्चे की समुचित काउसलिंग करते हुए उसकी शैक्षणिक प्रास्थिति एवं कोचिंग में प्रवेश के उपरान्त उसमें हुई प्रगति के बारे में अभिभावकों को समय—समय पर अवगत कराते हुए आवश्यकता होने पर उन्हें वैकल्पिक कैरियर ऑप्शन्स एवं बच्चे के समग्र विकास के लिए अन्य आयामों के बारे में भी आवश्यक रूप से बताया जाए।
  - 1.4 कोचिंग संर्थान प्रवेश के समय प्रवेशानुक्रम में एल्फाबेटिकली बैचों का निर्धारण करें तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।
  - 1.5 कोचिंग संस्थान प्रत्येक कक्षा कक्ष में उपलब्ध स्थान के अनुपात में ही विद्यार्थियों को प्रवेश दें तथा यह ध्यान रखें कि विद्यार्थी सही तरीके से शिक्षक से कनेक्ट हो सकें तथा उन्हें कक्षा कक्ष में अध्यापक, स्कीन अथवा ब्लैकबोर्ड सही प्रकार से दिखाई दें।

## **2. असेसमेंट टेस्ट एवं बैच सेग्रेशन :**

- 2.1 कोचिंग संस्थान असेसमेंट टेस्ट रिजल्ट सार्वजनिक नहीं करें।
- 2.2 असेसमेंट टेस्ट के परिणामों को गोपनीय रखते हुए अपने स्तर पर नियमित विश्लेषण कर, जो बच्चे निरंतर कम अंक प्राप्त कर रहे हैं एवं जिनका शैक्षणिक प्रदर्शन निरंतर गिर रहा है, उनकी इन दिशानिर्देशों के प्रावधानानुसार विशेष काउसलिंग करें।
- 2.3 प्रवेश के बाद आयोजित होने वाले असेसमेंट टेस्ट के आधार पर बैचों का पुनर्निर्धारण / बैच सेग्रेशन नहीं करें।

## **3. गेटकीपर ट्रेनिंग एवं निगरानी तंत्र :**

- 3.1 कोचिंग विद्यार्थियों में मानसिक तनाव एवं अवसाद की प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान करने हेतु कोचिंग संस्थान अपने संचालकों, कार्मिकों, शिक्षकों सहित समस्त स्टाफ की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंषित गेटकीपर ट्रेनिंग आवश्यक रूप से करवायें। इस हेतु राज्य सरकार, कोचिंग संस्थान तथा NIMHANS / समकक्ष संस्थानों के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू करवाया जाए। एमओयू के पश्चात समयबद्ध रूप से जिला प्रशासन विषय विशेषज्ञों के निर्देशन में सभी संबंधित की ट्रेनिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 3.2 कोचिंग विद्यार्थियों से सीधा संवाद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति यथा कोचिंग संचालक, शिक्षक, काउसलर्स एवं अन्य स्टाफ को किशोरावस्था / मानसिक स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में आमुखीकरण एवं बीसीसी (बिहेवियर चेंज कम्यूनिकेशन) प्रशिक्षण दिलवायें। इस हेतु कोचिंग संस्थानों द्वारा NIMHANS / स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ, विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ आदि के मार्गदर्शन में इस प्रकार के आमुखीकरण एवं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
- 3.3 कोचिंग संस्थान बच्चों की उपस्थिति / फेक उपस्थिति की आईटी बेर्सड मोनिटरिंग सुनिश्चित करें। इस हेतु वर्तमान में स्थापित सीसीटीवी कैमरा / अन्य बायोमेट्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें एवं उसकी नियमित एवं प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए फेसियल रेकग्निशन टेक्नोलोजी (FRT) के विकल्प को भी शीघ्र ही स्थापित करें।
- 3.4 कोचिंग संस्थान अभिभावकों के साथ प्रत्येक तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से ऑनलाइन / ऑफलाईन / पीटीएम का आयोजन करें तथा इसका रिकार्ड भलीभांति संधारित करें व सुरक्षित रखें।

3.5 कोचिंग संस्थानों में पीयर ग्रुप इवेल्यूएशन सिस्टम स्थापित किया जाए, ताकि विद्यार्थी समूह में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। इस हेतु विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरित करें कि इंटरेक्शन के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में आकस्मिक/अस्वाभाविक परिवर्तन दिखाई दे तो इस बारे में तत्काल कोचिंग संस्थान के शिक्षक (मेंटर) को सूचित करें ताकि संस्थान ऐसे बच्चों को अविलम्ब काउंसलिंग उपलब्ध करा सके। कोचिंग संस्थान नियमित रूप से ऐसे बच्चों की सूचना जिला प्रशासन, होस्टल/पीजी संचालकों एवं उनके अभिभावकों के साथ भी साझा करें।

#### 4. मनोसलाहकारों एवं काउंसलर्स की नियुक्ति :

- 4.1 कोचिंग संस्थान पर्याप्त संख्या में योग्य एवं प्रशिक्षित मनोसलाहकारों एवं काउंसलर्स की नियुक्ति करें जो प्रतिष्ठित संस्था से प्रशिक्षित हों एवं किशोरावस्था की मानसिक स्थिति एवं व्यवहारगत परिवर्तनों के विषय में पर्याप्त जानकार एवं अनुभवी हों।
- 4.2 मनोसलाहकारों एवं काउंसलर्स की योग्यता तथा संख्या का निर्धारण कोचिंग संस्थान इस हेतु दक्षता प्राप्त संस्थाएं यथा NIMHANS या राजकीय मेडिकल कॉलेज के मनोविज्ञान विषय के विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त कर तदनुरूप नियोजित करें।
- 4.3 यह सुनिश्चित किया जाए कि मनोसलाहकारों एवं काउंसलर्स की सेवायें हर जरूरतमंद विद्यार्थी को बिना विलम्ब या अवरोध के निरंतर रूप से मिल रही हैं। इसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सतत मोनिटरिंग की जाए।

#### 5. अवकाश एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियां :

- 5.1 कोचिंग संस्थान सप्ताह में एक दिवस का पूर्ण अवकाश अनिवार्य रूप से रखें।
- 5.2 अवकाश के अगले दिन किसी भी प्रकार का असेसमेंट टेस्ट/परीक्षा का आयोजन नहीं करें।
- 5.3 प्रमुख लोकप्रिय त्योहारों के अवसर पर लम्बे अवकाश की व्यवस्था को कस्टमाईज किया जाए। इससे विद्यार्थी परिवार के साथ सम्पर्क में आएं और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकें।
- 5.4 प्रत्येक सप्ताह में आधे दिवस की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाए जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग, योग, प्राणायाम, सूडोकू पजल्स, कोस वर्ड, विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मोटिवेशनल स्पीच, आउटडोर एक्टीविटीज, कम्यूनिटी एक्टिविटीज तथा अन्य समान प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएं तथा इनमें विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कोचिंग संस्थान, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के सहयोग से शहर में स्थित विभिन्न पार्कों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दर्शनीय स्थल, आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परिचर्चाएं इत्यादि की जानकारी प्रदान करते हुए इनमें बच्चों की रुचि के हिसाब से सहभागिता सुनिश्चित करें।

#### 6. इजी-एग्जिट ऑप्शन एवं फीस रिफण्ड पॉलिसी :

सभी कोचिंग संस्थान निम्नानुसार यूनिफॉर्म Easy-exit option एवं फीस रिफण्ड पॉलिसी की प्रभावी रूप से पालना सुनिश्चित करें:-

- 6.1 कोचिंग में प्रवेश के बाद 120 दिवस की अवधि के दौरान यदि विद्यार्थी कोचिंग व्यवस्था के अनुरूप रहने में असुविधा एवं असहजता महसूस करता है तो वह स्वेच्छा/अभिभावक की इच्छा से कोचिंग से एग्जिट कर सकेगा एवं एग्जिट करने पर कोचिंग संस्थान द्वारा उसे आनुपातिक आधार पर शेष अवधि की फीस लौटानी होगी।
- 6.2 कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों की 45 दिवस पर प्रथम काउंसलिंग, 90 दिवस पर द्वितीय काउंसलिंग एवं 120 दिवस पर तृतीय काउंसलिंग करें। इन काउंसलिंग के समय यदि बच्चे की परफॉरमेंस में लगातार गिरावट दृष्टिगत होती है और यदि उसमें अपेक्षित सुधार नजर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में उनके अभिभावकों को बुलाकर वैकल्पिक कैरियर ऑप्शन्स बतायें तथा पाठ्यक्रम की शेष फीस आनुपातिक आधार पर लौटाते हुए उसे एग्जिट का अवसर उपलब्ध करवायें।

7. **टेली—मानस एवं अन्य टोल फी हैल्पलाईन नम्बरों का प्रचार—प्रसार रू**  
कोचिंग संस्थान अपने परिसर में प्रमुख स्थानों यथा एन्ड्री एवं एग्जिट गेट, मैस, कैन्टीन, कक्षा कक्षों, काउंसलिंग कक्षों, कॉमन रूम, रिसेप्शन, फॉन्ट ऑफिस आदि जगहों पर टेली—मानस के टोल फी हैल्पलाईन नम्बर 18008914416 एवं 14416 अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करें। इसके अतिरिक्त पाठ्य सामग्री यथा पैन, पेन्सिल, नोट बुक, पुस्तकों, बैग, बोटल, आईकार्ड इत्यादि पर भी टेली—मानस के टोल फी नम्बर अंकित करें।  
7.2 24 × 7 हैल्पलाईन तथा ई—कम्प्लेंट पोर्टल को और अधिक प्रभावी बनाकर इसका प्रचार—प्रसार किया जाए।  
7.3 कोचिंग संस्थानों में सुझाव/शिकायत पेटिका (कैमरे से लिंक्ड ड्रोप बोक्स) स्थापित की जाए।
8. **कोड ऑफ कण्डकट — कोचिंग संस्थान के प्रबन्धन, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को निम्नानुसार आचरण करना होगा:-**
- 8.1 कोचिंग शिक्षक विद्यार्थियों में उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करें।  
8.2 कोचिंग संस्थानों के शिक्षक अपने आप को केवल कोचिंग के विषयों को पढ़ाने तक ही सीमित ना रखें बल्कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु काउंसलिंग, मेंटरशिप, चाईल्ड साईकोलोजी विषयों पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गंभीरता से लेकर उनको अपने कार्य स्थल पर व्यवहार रूप में लागू करें।  
8.3 कोचिंग शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध में व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करें।  
8.4 छात्राओं से सम्मानपूर्वक एवं गरिमापूर्ण व्यवहार करें तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गये संचार प्लेटफार्म के अलावा अन्य तरीकों से सम्पर्क नहीं रखें।  
8.5. विद्यार्थियों को सही दिनचर्या, समय प्रबंधन और सोशल मीडिया के दुस्प्रभावों आदि के संबंध में आवश्यक रूप से जागरूक करें।  
8.6 विभिन्न बैचेज के मध्य प्रतियोगिता के नाम पर भेदभाव नहीं करें और कक्षा के अलावा अनौपचारिक ग्रुप्स को प्रोत्साहित नहीं करें।  
8.7 विद्यार्थियों में व्यवहारात्मक परिवर्तन को नोट कर काउंसलिंग हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करें।  
8.8 शिक्षक विद्यार्थियों को ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दें जिन्होंने कोचिंग में असफलता के बावजूद अन्य क्षेत्रों में जाकर सफलता प्राप्त की हो।  
8.9 डाउट क्लासेज में कोचिंग शिक्षकों द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी विद्यार्थी द्वारा डाउट पूछने पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं किया जाए।  
8.10 कोचिंग संस्थान प्रबंधक विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों व अन्य स्टाफ के संबंध में की गई शिकायतों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखें। यदि इस विषय में कोई कोताही बरती जाती है तथा टीचर या स्टाफ के द्वारा शिकायत करने वाले विद्यार्थी को प्रताड़ित किया जाता है व विद्यार्थी मानसिक तनाव में आकर कोई गलत कदम उठाता है तो यह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जाए तथा जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाए।  
8.11 बिन्दू संख्या 8 के उपरोक्त समस्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने का दायित्व कोचिंग संस्थान का होगा। इन निर्देशों में उल्लेखित कोड ऑफ कण्डकट की पालना करने के संबंध में संबंधित कोचिंग संस्थान द्वारा सभी शिक्षकों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों से शपथपत्र/अण्डरटेकिंग ली जाए तथा अपने रिकार्ड में व्यवस्थित रूप से रखी जाए जिसकी जांच जिला प्रशासन द्वारा समय—समय पर की जाए। कोड ऑफ कण्डकट की शत प्रतिशत पालना की रिपोर्ट जिला समिति को प्रस्तुत की जाए।  
कोड ऑफ कण्डकट की किसी भी प्रकार की अवहेलना संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा इसकी सूचना जिला समिति को प्रेषित की जाए तथा प्राप्त अण्डरटेकिंग को संस्था के रिकार्ड में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

## **9. कोचिंग संस्थानों के अन्य दायित्व –**

- 9.1 कोचिंग संस्थान अपने विद्यार्थियों का ऑफलाईन अध्ययन के साथ–साथ ॲनलाईन अध्ययन का लिंक भी विद्यार्थियों को उपलब्ध करायें जिससे ॲफलाईन क्लास नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का बैकलॉग सृजित ना हो। साथ ही कोचिंग संस्थानों को चाहिए कि वे धीरे–धीरे ॲनलाईन कोचिंग व्यवस्था की ओर अग्रसर हों, ताकि बच्चे अपने घर से ही कोचिंग ले सकें।
- 9.2 कोचिंग संस्थान विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुसार किसी पाठ्यक्रम विशेष या उसके किसी हिस्से की कोचिंग लेने का विकल्प भी उपलब्ध करवायेंगे तथा पाठ्यक्रम के अनुपात में ही विद्यार्थी से शुल्क लिया जा सकेगा।
- 9.3 कोचिंग पाठ्यक्रमों के साथ जीवन मूल्यों का महत्व समझाने वाला ‘लाईफ मैनेजमेंट’ विषय भी आवश्यक रूप से पढ़ाया जाए।

## **ब–होस्टल / पीजी संचालकों के लिए दिशानिर्देश:-**

1. होस्टल / पीजी में क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं रखा जाए।
2. होस्टल / पीजी संचालकों एवं स्टाफ की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंषित गेटकीपर ट्रेनिंग दिशानिर्देश के बिन्दू संख्या 3.1 व 3.2 की पालना करते हुए अनिवार्य रूप से करवाई जाए।
3. विद्यार्थी द्वारा होस्टल / पीजी छोड़ने पर शेष अवधि का किराया एवं मैस चार्जेज आनुपातिक रूप से मासिक आधार पर लौटाए जाए।
4. होस्टल परिसर में प्रमुख स्थानों यथा एन्ट्री एवं एग्जिट गेट, मैस, केन्टीन, कक्षों आदि स्थानों पर टेली–मानस के टोल फ्री हैल्पलाईन नम्बर 18008914416 एवं 14416 अनिवार्य रूप से डिसप्ले करें।
5. होस्टल / पीजी में रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की होस्टल / पीजी संचालकों द्वारा प्रतिदिन भौतिक उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर अथवा बायोमेट्रिक पद्धति से सुनिश्चित की जाए एवं अनुपस्थिति की दशा में कोचिंग प्रबन्धन तथा अभिभावकों को सूचित किया जाए।
6. होस्टल / पीजी के प्रमुख स्थानों जैसे एन्ट्री/एग्जिट गेट तथा कॉरिडॉर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जाएं एवं सीसीटीवी का डेटा सुरक्षित रखा जाए। भविष्य में डीओआईटी द्वारा विकसित वैब पोर्टल और व्यवस्था में सीसीटीवी की लाईव स्ट्रिमिंग की व्यवस्था भी स्थापित की जाए।
7. बालिका छात्रावास में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि महिला संचालिका द्वारा ही कार्यभार का निर्वहन किया जाए एवं किसी भी स्थिति में छात्राओं की निजता का हनन ना हो।
8. बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में होस्टलों, अभिभावकों एवं कोचिंग संस्थानों के मध्य सूचनाओं के नियमित आदान–प्रदान एवं समन्वय को सुनियित किया जाए तथा किसी बच्चे के आचार–व्यवहार में अचानक असामान्य परिवर्तन नजर आने या अनुपस्थित रहने पर जिला प्रशासन, कोचिंग संस्थान एवं अभिभावकों को सूचित किया जाए।
9. होस्टल्स में सुझाव / शिकायत पेटिका (कैमरे से लिंक्ड ड्रोप बोक्स) स्थापित की जाए एवं जिला प्रशासन द्वारा स्थापित ई–कम्प्लेंट पोर्टल की जानकारी प्रदर्शित की जाए।

## **स–दिशानिर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला, पुलिस प्रशासन / राज्य सरकार एवं राज्य स्तरीय समिति के स्तर पर किये जाने वाले कार्य:-**

1. पुलिस द्वारा कोचिंग के विद्यार्थियों से संदर्भित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्याएं यथा ड्रग एब्यूज, ब्लैकमेलिंग, अवैध वसुली तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में यथोचित सहायता प्रदान की जाए एवं अपने स्वयं के सूचना तंत्र के मार्फत ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा कोचिंग संस्थानों, होस्टल / पीजी संचालकों को हैल्पलाईन नम्बर / क्षेत्रीय बीट कांस्टेबल का नम्बर प्रदर्शित करने हेतु उपलब्ध कराए जाएं। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित थानाधिकारी का होगा तथा इसकी मोनिटरिंग जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाए।

2. प्रदेश के कोचिंग संस्थानों, होस्टल / पीजी एवं इनमें प्रवेश लेने वाले / रहने वाले सभी बच्चों के संबंध में बेसिक इन्फोरमेशन, यथा कोचिंग संरथान का पूर्ण विवरण, स्टाफ, संचालित कोर्स, अवधि, फीस, रिफण्ड पॉलिसी, विद्यार्थियों का विवरण, स्कूल जिसमें पढ़ रहा है, परिजनों का व्यवसाय, गृह राज्य एवं गृह जिला, निवास स्थान, वर्तमान निवास, होस्टल / पीजी का विवरण, मोबाईल नम्बर, hobbies आदि का डेटा प्राप्त कर कोचिंग संस्थान में इसका डेटा बेस आवश्यक रूप से रखा जावे तथा जिला प्रशासन द्वारा चाहे जाने पर अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए।
3. इस डेटा बेस का उपयोग जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे समस्त विद्यार्थियों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि अनुसार स्पोर्ट्स, hobbies, म्यूजिक, योगा, मेडिटेशन आदि की व्यवस्था एवं मोनिटरिंग हेतु किया जाए। साथ ही किसी प्रकार की समस्या निराकरण एवं परिजनों से बेहतर सामंजस्य हेतु भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकता है।
4. उक्त के अतिरिक्त इस डेटा का उपयोग राज्य स्तर पर शीघ्र ही विकसित किये जाने वाले डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड पोर्टल पर संकलन एवं विश्लेषण हेतु किया जाए। पोर्टल पर प्राप्त डेटा का संकलन, विश्लेषण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तर पर एवं प्रथमतः कोटा एवं सीकर जिलों पर प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाए। इस यूनिट को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु सक्षम अनुमति पश्चात शीघ्र ही आउट सोर्स करके प्रोफेशनल कन्सल्टेंसी फर्म का नियोजन किया जाए।
5. कोचिंग संस्थानों तथा होस्टल्स / पीजी के संबंध में जारी दिशानिर्देशों की प्रभावी क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय निगरानी तंत्र को राज्य स्तरीय डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड पोर्टल से कनेक्ट किया जाए तथा इसकी केन्द्रीयकृत मोनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाए। इस हेतु राज्य स्तरीय मोनिटरिंग समिति में संरथागत मैकेनिज्म स्थापित किया जाए।
6. कोचिंग संस्थाओं द्वारा अपने सीएसआर फण्ड एवं भामाशाहों के सहयोग से इस हेतु प्राप्त राशि का उपयोग विद्यार्थियों को तनाव कम करने हेतु सृजित किये जाने वाली आधारभूत सुविधाओं के निर्माण तथा किशोर स्वास्थ्य को सही दिशा में अग्रसर करने वाली योग, विषय विशेषज्ञों की सेवाएं तथा इस प्रकार की अन्य सहयोगी गतिविधियों के संचालन में किया जाए।
7. जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स के मार्फत कोटा, जयपुर एवं सीकर में संचालित एवं विद्यार्थियों द्वारा ज्यादा उपयोग होने वाले होटल / रेस्टोरेंट और आउटलेट्स का आकस्मिक निरीक्षण एवं फूड सेम्प्लिंग करवाते हुए दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
8. कोचिंग संस्थानों में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प लगाये जाएं तथा कोचिंग विद्यार्थियों को संतुलित आहार एवं बीमारियों की रोकथाम के बारे में भी अवगत कराया जाए।
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप एन्ड्रेन्स परीक्षा को युक्तिसंगत बनाने, कोचिंग संस्थानों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करने के लिए तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाए।
10. आत्महत्या से उत्पन्न होने वाली दुखद परिस्थितियों एवं दुष्परिणामों को प्रदर्शित करने वाली लघु फिल्म, वृत्त चित्र, म्यूजिक एलबम इत्यादि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन तथा अन्य माध्यमों से करवाया जाए।
11. जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर एज्यूकेशन फेयर (एज्यूफेस्ट) का आयोजन करवाया जाए तथा उसमें मेडिकल शिक्षा के अन्य विकल्पों यथा बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, फार्मसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, एमएलटी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलोजी इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाए।
12. मेडिकल एज्यूकेशन के लिए जरूरतमंदों को बिना ब्याज या कम ब्याज पर एज्यूकेशन लोन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित ऋण योजनाओं तथा उपलब्ध पोर्टल इत्यादि की जानकारी कोचिंग संस्थानों के स्तर पर उपलब्ध करवाई जाए।
13. स्कूली शिक्षा के साथ कोचिंग के अतिरिक्त भार को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि को अपने विद्यार्थियों की स्कूलों में उपस्थिति संबंधी नियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से इन एजेन्सियों को समुचित व्यवस्था स्थापित करने हेतु निवेदन किया जाए।

## द–उपर्युक्त दिशानिर्देश एवं पूर्व में जारी दिशानिर्देशों की प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्विति हेतु निम्न कार्यवाही की जाएः—

1. उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अविलम्ब तथा प्रभावी पालना हेतु जिला कलकटर्स जिले में स्थित सभी कोचिंग संस्थानों / होस्टल एवं पीजी संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें दिशानिर्देशों की बिन्दुवार जानकारी देते हुए उनको बच्चों पर पड़नेवाले मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में sensitize करें।
2. दिशानिर्देशों की प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्विति हेतु जिला प्रशासन अपने स्तर पर कोचिंग संस्थानों तथा होस्टल संचालकों के लिए समुचित आदेश जारी कर उन्हें निर्धारित अवधि में बिन्दुवार क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द भी करें। दिशानिर्देशों की समयबद्ध क्रियान्विति नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों तथा होस्टल एवं पीजी संचालकों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जाए।
3. सभी कोचिंग संस्थान संचालक उक्त दिशानिर्देशों की प्रति को तत्काल अपने संस्थान में नोटिस बोर्ड पर स्थाई रूप से चर्खा कर रखें तथा अपनी वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर भी स्थाई रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही कोचिंग संस्थान इन दिशानिर्देशों की एक–एक प्रति संस्थान के सभी शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को तत्काल व्यक्तिशः उपलब्ध करवाकर उसकी क्रियान्विति विशेषकर कोड ऑफ कण्डकट की पालना हेतु निर्देशित करें एवं इस संबंध में उनसे अण्डरटेकिंग प्राप्त कर उसकी एक प्रति जिला स्तरीय समिति को भिजवायें एवं कोड ऑफ कण्डकट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवायें।
4. कोचिंग संस्थानों के शिक्षक तथा होस्टल एवं पीजी संचालकों द्वारा इन दिशानिर्देशों के बारे में सभी विद्यार्थियों को बताया जाए तथा इसकी सॉफ्ट पीडीएफ कॉपी वाट्सएप एवं ई–मेल से सात दिवस की अवधि में विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को भिजवाकर इसकी पालना रिपोर्ट जिला प्रशासन को प्रेषित करें। जिला प्रशासन द्वारा इसकी रेण्डम चेकिंग की जाए।
5. कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों तथा स्टाफ एवं संचालकों को दिशानिर्देशानुसार शीघ्र गेटकीपर ट्रेनिंग दिलवाकर उसकी पालना रिपोर्ट अविलम्ब जिला प्रशासन को प्रेषित करें।
6. कोचिंग संस्थान संचालक एवं होस्टल / पीजी संचालक संस्थान से संबंधित सम्पूर्ण सूचना तैयार कर जिला प्रशासन को 15 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही दिशानिर्देश के प्रत्येक बिन्दु की पालना में की गई कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करवायें। जिला प्रशासन द्वारा इन सभी सूचनाओं को स्प्रेड शीट में संधारण किया जाए तथा पोर्टल विकसित होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जाए।
7. जिला प्रशासन स्थानीय दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थलों, खेलकूद सुविधाओं, सार्वजनिक पार्कों की जानकारी एवं उनके उपयोग के नियम, फीस इत्यादि की जानकारी कोचिंग संस्थानों, होस्टल्स एवं सभी संबंधित को दें तथा उन तक विद्यार्थियों की पहुँच सुगमता से हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
8. कोटा एवं सीकर में जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में स्थापित व्यवस्था को और अधिक सृदृढ़ एवं प्रभावी किया जाए तथा अन्य जिलों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही अमल में लाई जावे।
9. माह में एक बार जिला कलकटर एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं कोचिंग संस्थानों की रेण्डम विजिट करें व दिशानिर्देशों की पालना की जांच करें।  
पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ ही उपर्युक्त दिशानिर्देशों की कोचिंग संस्थानों, होस्टल्स / पीजी संचालकों द्वारा सख्ती से पालना जिला स्तरीय समिति द्वारा सुनिश्चित करवाई जाए। दिशानिर्देशों की पालना नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों / होस्टल / पीजी के विरुद्ध जिला स्तरीय समिति द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जाए। राज्य स्तर पर दिशानिर्देशों की पालना की मोनिटरिंग राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

यह राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(भवानी सिंह देथा)  
प्रमुख शासन सचिव, उच्चे शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, मा० नगरीय विकास मंत्री महोदय।

5. विशेष सहायक, मा० उच्च शिक्षा एवं गृह राज्य मंत्री महोदय।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
12. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग।
14. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
16. निदेशक, नेशनल हैल्थ मिशन, जयपुर।
17. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान तथा पदेन अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व दिशानिर्देशों की निरंतरता में जारी इन दिशानिर्देशों की अक्षरशः एवं समयद्व पालना सुनिश्चित करवावें एवं सम्पादित की गई समस्त कार्यवाही से समय—समय पर राज्य स्तरीय समिति को अवगत करावें।
18. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इन दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाई की जाए एवं सम्पादित की गई समस्त कार्यवाही से समय—समय पर राज्य स्तरीय समिति को अवगत करावें।
19. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।
20. समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
21. समस्त प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
22. समस्त कोचिंग सेन्टर/छात्रावास द्वारा संबंधित जिला कलक्टर।
23. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा